

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2003

का.आ. 534(अ).—जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 14 दिसम्बर, 1995 की अधिसूचना सं० सां० आ० 973 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने एसोसिएशन फार द केयर ऑफ एजेड, मकान सं० 8-14-1 महालक्ष्मी निलयम, गांधी नगर, काकिनाडा 4 द्वारा काकिनंदा शहर के पास रामनय्यापट गांव में आंखों तथा सामान्य अस्पताल और श्रवण वृद्धाश्रम आश्रम के दक्षिण भाग के निर्माण, सुसज्जा और चलाने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1996-97 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 9 पर विनिर्दिष्ट किया था, जिसे बाद में दिनांक 19 मई, 1998 की अधिसूचना

सं० सां० आ० 427 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरंभ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था तथा जिसे दिनांक 5 जुलाई, 2000 की अधिसूचना सं० सां० आ० 631 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए पुनः आगे बढ़ाया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के आठ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एसोसिएशन फार द केयर ऑफ एज्ड, मकान सं० 8-14-1 महालक्ष्मी निलयम, गांधी नगर, काकिनाडा-4 द्वारा काकिनाडा शहर के पास रामनय्यापेट गांव में चलाई जा रही आंखों तथा सामान्य अस्पताल और श्रवण वृद्धाश्रम आश्रम के निर्माण, सुसज्जा और चलाने स्वास्थ्य की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र नौ लाख, सत्तर हजार रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।